## असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

## देहरादून, मंगलवार, 26 अप्रैल, 2005 ई 0

बैशाख 06, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन<br>विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग<br>संख्या 489 /विघायी एवं संसदीय कार्य/2005<br>देहरादून, 26 अप्रैल, 2005<br>अधिसू चना विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित दून विश्वविद्यालय विधेयक. 2005 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 23-4-2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 18, सन् 2005 के रूप में सर्वसाघारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

> दून विश्वविद्यालय अधिनियम. 2005
> (अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2005)

दून विश्वविद्यालय नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु
अधिनियम
भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विघान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:-

## अध्याय -1 <br> प्रारम्भिक

1 -संक्षिप्त नाम ,और प्रारम्भ

2- परिभाषाएँ
(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम टृन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 है।
(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार ग़जपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
(1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;
(क) "शैक्षिक परिषद" से विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद अभिप्रेत है; (ख) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से आधिनियम और विश्वविद्यद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यित्या से सम्बल्ष संस्था/महविद्यालय अभिपेत है ;
(ग) "स्वायत्त महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्त येषित महाविद्यातय अभिप्रेत है,
(ब)"कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधियति अभिप्रेत है;
(ड.) "संधरक महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;
(च) "सभा" से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;
(छ) "संकायाध्यक" से इस आधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त संकायध्यक्ष अभिप्रेत हैं;
(ज) "निदेशक" से किसी विषय के अध्यापन और अनुसंधान के आयोजन उ संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थाणित संस्थान का प्रधान अभिप्रेत्रे है :
(झ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा निदुक्त कर्मचारी अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय या किसी संख्रक महाविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारीवृन्द सम्मिलित हैं ;
(ज) "कार्य परिषद" से विश्नविद्यालय की कार्य परिषद अभिप्रेत है;
(ट) "संकाय" से विश्वविद्यातय का संकाय अभिप्रेत है ;
(ट) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेते है;
(ड) "सरका" से उत्तरांचल की सरकार अभिप्रेत है ;
(ढ) "संस्थ" से किसी विषय के अध्यापन और अनुसंधान के आवोजन द संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्था अभिश्रेत है ;
(ग) "प्रबन्ध मृण्डल" से किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के संबंध में उसकी प्रबन्ध मण्डल समिति या उस महाविद्यालय या संस्था के मामलो के प्रबन्धन के लिए और उस रूप में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकाय अभिप्रेत है ;
(त) "विहित" से परिनिप्रमों या अध्यादेशों द्वारा विहित आभिप्रेत है;
(थ) "प्राचार्य" से किसी संबटक महाविद्यालय के संबंध में संघटक महाविद्यालय का प्रधान अभिफ्रेत है और इसमें जहां प्राचार्य नहीं है उप प्राचार्य या प्राचार्य के रुप में कार्य करने के लिए तत्समय नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है ;
(द) " कुल सचिव" से विश्वविद्यालय का फुल सचिव आभिप्रेत है;
(ध) "स्कूल" से विश्वविद्यालय के स्कूल अभिप्रेत है
(न) "राज्य" से उत्तरांचल राज्य अभिप्रेत है
(प) "प़रिनियमों" "अध्यादेशों" और "विनियमों" से क्रमशः
विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम अभिप्रेत हैं;
(फ) "शिक्षक" से आचार्य, सह आचार्य, रीडर, सहायक आचार्य, प्रदक्ता या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विशवविद्यालय या संघटक महावित्रालय में अनुदेशः, शिक्षण वा अनुसंधान के संचालन के लिए नियुक्त किया जाय और जिसमें संबटक महाविद्यालय का प्राचार्य सम्मिलित है ;
(ब) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से विश्वविघातय अन्दुान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत हैं ;
(भ) "विश्वविद्यालय" से इस अधीनियम के अधीन स्यापित दून विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ;
(म) "कुलपति" से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है ;
अध्याय- 2
विश्वविद्यालय
(1) "दून विश्वविद्यालय" नाम से ज्ञात एक विश्वाविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

3-विश्वविद्यातय की स्थापना
(2) विश्वविद्यालय ऊपर उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नाम वालः एक निगमित निकाय होगा और उसे शाशवत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुला होगी तथा अपने नाम से वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जायेगा।
(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय देहरादून में अवस्थित होगा और वह राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसे अन्य स्थानों पर जो आवश्यक समझे, अपने आतेरिक्त परिसर स्थापित कर सकेगा।

4- विश्वविद्यालय के उद्देश्य

5- विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य

विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार का ज्ञान और अदबोध का प्रसार और उसे उन्नत बनाना होगा।

विशवववियालय की शक्तियां और कर्तब्य निम्नवत् होंगे ; अर्थात
(1) ज्ञान की ऐसी शाखाओं में जिन्हे विश्वविद्यालव डाचित समझे, आध्नुनिक विषयों पर विशेष लक्ष रखते हुए जिससे वे प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में उत्हृष्टता का केन्ट्र बने सके, अनुदेश के लिए उपबन्ध करना और ज्ञान के उन्तयन और प्रसार के लिए अनुसुंदान की व्यवस्था करना ;
(2) किसी स्वावत्त महाविघालय एवं ऐसे अन्य महाविद्यालय को जिसे विहित किया जा सके, सम्बद्धता / सहयोग की प्रसुविवाओं के लिए ग्रहण करना या ऐसी सम्बध्ता को दापस तेना और विश्वदिघालय के प्रथम परिनियमों द्वारा विहित शर्तों पर सन्बद्ध महादिघालयों का मार्ग दर्शन और उनके कार्य का नियंय्रण करना;
(3) उपाधियों डिल्लोमाओं तथा अन्य शेक्षिक विशिष्टताओं को संस्थित करना;
(4) परिनियमों के उपबन्धीं के अनुतार संकाब,स्लूल तथा ऐसे अन्य शेद़ीणिक निक्रय स्यापित करना;
(5) परीक्षायें आयोजित करना तथा ऐसे व्यक्तियों को जिन्होने किसी विश्वविद्यातय या किसी अन्य समबन्द महाविद्यातय या संस्थान में अध्ययन, परीक्षा और/या अनुसुंवान का विधिक पाट्यक्जम सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया हो, उापधियां, डिलोमा और अन्च शैष्षाणिक विशिष्ट्यां अन्नतः प्रदान करना ;
(6) प्रिनिययों में अधिकधित रीति से और शर्तों के अधिन मानद उपाधियॉ या अन्य शैक्षिक विशिष्टतऐं प्रदान करना ;
(7) अन्य विश्वविदालयों , राष्ट्रीव प्रयोगशालाओं और प्रापिकरियों से ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्टे विशवविय्यालय अवधारित करे, सहकार्य एवं सहयोग करना ;
(8) विश्ववद्यालय द्वारा अपक्षित शिक्षकों के पद सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तिवों की नियुप्ति करना ;
(9) महविव्यातयों की सम्बद्धता की शतों को अधिकथित करना और कालिक निरिष्षण द्वारा या अन्यथा अपना यह समाधान करना की उन शत्रो को पूरा किया जाता है ;
(10) आचार संहिता और अन्य आवश्यक उपाव अधिकधित करके विश्वववृदलय और उसक्जी संस्थआं तथा समबद्ध भहाविघातयें के छत्रों और कर्मचरियों के मथ्य अनुशासन विनियमित और उसे प्रभावी करना ;
(11) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, अध्ययन वृत्तियां,छात्रवृत्तियां (यात्रा शोध छात्रकृत्ति सहित्र) तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना ;
(12) विश्वविद्यालय, संस्थाओं या संघटक या सम्बद्ध सह महाविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को मान्यता देना ;
(13) ऐसी फ़स और अन्य प्रभार की मांग और प्राप्त करना जैसा परिनियम द्वारा नियत किया जाय ;
(14) विश्वविद्यालय, संस्था और संघटक या, सम्बद्ध महाविद्यालयों के आवासों का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण तथा छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए व्यवस्था करना ;
(15) प्रशासनिक, लिपिकीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन और उन पर नियुक्ति करना,
(16) अनुसंधन और डिजाईन परियोजनाओं पर आधारित परामर्श के द्वारा संसाधनों का अर्जन करना और अप़्नी आस्तियों तथा संसाधनों को बढ़ाने व उत्पादक उपयोग के लिए उपबन्ध करना, और ;
(17) विश्वविव्यालय के उद्द्देश्यों को अग्रसारित करने के लिए यथा अपेक्षित ऐसे सभी अन्य कार्य करना चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हो।
(1) दून विश्वविद्यालय की अधिकारिता राज्य में स्थापित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों और संस्थाओं पर होगी।
(2) उपर्युक्त में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय किसी ऐसे महाविद्यालय जो पूर्व से ही राज्य में स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बध्ध है, को सम्बद्धता प्रदान नहीं करेगा जबतक कि संबंधित विश्वविद्यालय की सहमति प्रान्त न कर लिया जाय।

परन्तु यह कि इस प्रकार सम्बद्ध महाविद्यालय को वे सर्भी अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त रहेंगे,जो उंन्हें ऐसी सम्बद्धता से पूर्व प्रांत हो रहे थे जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा उन्हे संशोधित या उपान्तरित न कर दिया जाय।

विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा भले ही वे किसी भी दर्ग, जाति, पंथ या लिंग के हो, परन्तु इस धारा को किसी बात से वह नहीं समझा जाएगा कि विश्यविद्यालय द्वारा किसी भी पाट्यक्रम में अध्यादेश द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है ;

6- विश्वविद्यालय की अधिकारिता

7- विश्वविद्यातय का सभी वर्गो, जातियों पंथ और लिंग के लिए खुला होना

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिठड़े वर्गो के छात्रों के प्रवेशे के लिए विशेष उपबन्ध करने पर प्रतिबन्ध हैं।
8- मानक तथा प्रत्यायन
(1)विश्वविद्यालय द्वारा दिश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समय-समय पर संशोधित मानकों/विनियमों का अन्नुपालन किया जायेगा। (2) विश्वविद्यालय संबंधित राष्ट्रीव प्रत्यायन संस्था/संस्थाओं से जैसा अपेक्षित हो, मान्यता प्राप्त करेगा।

## अध्याय- 3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9- विशवविद्यालय
के अधिनरी

विश्ववविचालप के निम्मलिखित अचधिकारी होंगे -
(क) कुलाधिएति ;
(ख) कुलपति ;
(ग) प्रति फुलपति ;
(घ) संकायाव्यक्ष ;
(ड.) भुलसचिव ;
(च) वित्त अधिकारी ; और
(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हे परिनिग़मों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में घोषित किया जा सकेगा।

10- कुलाधिपति
(1) राज्य का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।
(2) कुलाधिपति, जब उपस्थित हो, तो उपाधियों और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षतः करेगा।
(3) कुलाधिपीित विश्वविद्यालय के किसी कार्य से संबधित ऐसी सूचना, मंगा सकेगा तथा उस पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो व़ विश्वविद्यालय के हित में ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा अधिंकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
(4) मानद उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।
(5) कुलआधिपति समय-समय पर विश्वदिद्यालयंय की प्रगाति और कार्य के पुनर्विलोकन के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो उस पर अपनी रिपोटंट प्रस्तुत करेंगे, और उस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर कुलाधिपति डस पर कार्य परिष्द के विचार प्राप्त करें के पश्चात ऐसी कार्यवाही कर सकेगा तथा ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह रिपोर्ट में ब्यवहत किसी मामले के संबंध में आवश्य समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों के अनुपालन के लिए बा
(6) कुलाधिपति को ऐसे व्यक्ति दा व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपत्कर का तथा विश्वविद्यालयों द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था का और विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन और किये जा रहे अन्य कार्यो का भी निरीक्षण कराने का तथा विश्वविद्यालय से सम्बध्ध किसी मामलें की बावत की जाने वाली जांच कराने का भी आधिकार होगा ।
(7) कुलाधिपति प्रत्येक मामलें में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना देगा और विश्वविद्यालय अपन प्रतिनिधि नियक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण एवं जांच में उपस्थित रहने व सुने जाने का अधिकार होगा।
(8) कुलाधिपति, कुलपति को ऐसे निरीक्षण और जांच के परिणाम संदर्भित करेगा और कुलपति कार्य पारेषद को कुलाधितति द्वारा दिये गये ऐसे परामर्श एवं उस पर की गयी कारवाई सहित उनके आशय से अवगत करायेगा।
(9) कार्य परिषद कुलपति के मध्यम से कुलाधिपति को ऐसी कार्यदााहा ददि कोई है जो वह ऐसे निरीक्षेण को जांच के परिणाम स्वस्षप करने की प्रस्थापना करता है या जो की गर्यी है, संसूचित करेगी।
(10) जब कार्य परिषद समुचित समय के अन्दर कुलाधिपति के समाधान रूप में कारंवाई नही करती है तो कुलाधिपतित, कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या प्रत्यावेदन पर विचार करने के पश्चात ऐसे निदेशे, जैसा वह ठीक समझें, दे सकेगा और कार्य परिषद् ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
(11) कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही को अकृत कर सकेगा जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुखूप नहीं है ।
(1) कुलाधिपति के द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गटित

11- कुलपति समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निर्वंधनों और शतों पर जैसे की परिनियमों द्वारा विहित किया जाय, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।
परन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा वह तीन वर्ष के अवधि के लिए पद धारण करेगा। (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात -
(क) कुलाधिपाति द्वारा नामित एक व्यक्ति ,
(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति ;
(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख संचिव/सचिच, जो सदस्य संयोजक होगा।
(3) समिति गुणावगुण के आधार पर कुलपति का पद ध्वारण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक अहंताओं तथा अन्य विशश़ष्टियों के संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को भेजेगे।
(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रथन कार्यपालक और शेक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यातय के कार्यकलाषों पर सामान्य पयववेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राथिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।
(5) जहां शिक्षक की नियुक्ति से भिन्न कोई मानला ऐसी आवश्यक प्रकृति का हो, जिसमें तल्काल कार्यवाही अपेक्षित हो और उसके संबंध नें कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सशक्त विश्वविद्याल़य के किसी अथिकारी या प्राधिकरी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तक्द्वाल करंपाई न की जा सके तो कुलाधिपति के पूर्वनुमोदन से कुलपति ऐली कार्रवाई कर सकेगा, जो वह टीक समझे।
(6) कुलापति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तब्यों का पालन करेगा जो परिंनियमों या अध्यादेशों द्वारा अधिक्यित किये जाये।
(7) इस आधिनियम, परिनियम और अध्यदेश के उपबन्थों का निष्ठापूर्वक पालन स्तुनिश्चित करने का कर्तव्य कुलपति का होगा।
(8) कुलाधिपति कुलपफति को हटाने के लिए या जांच के दौरान आरोपों की गम्भीरत्ता को दृष्टिगत् रखते हुए निलम्बित करने के लिए, जो भी वह टीक समझे, सशक्त है।

12- प्रतिकुलपति

13- संकायाध्यक्ष

प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपतित के पूर्वानुमोदन से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी रीति से की जा सकेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमो द्वारा विहित कियें जायें।

प्रत्येक संकाय और स्कूल का प्रधान संकायाध्यक्ष होगा। संकायाध्धक्षों की नियुक्ति कुलण़त द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी और वे ऐसी शःक्तियों का ग्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगे जो परिरियमों द्वारा विहित किए जायें।
(1) कुलसचिव की नियुक्ति, कार्य परिषद द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निवन्धनों और शर्तो पर की जायेगो, जो कि विहित किये जाये,
(2) कुलूसचिव मुख्य प्रशासानिक अधिकारी होगा और कुलपति के पर्यदेक्षण, निदेशन और नियंत्रण में कार्य करेगा,
(3) कुलसाचिव विश्वविद्यातय की ओर से सभी संविदाएं करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा,
(4) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शाक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगर जो विहित किए जायें या परिनियमों या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों,
(5) कुलसाचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक्र् अभिरक्षा के लिए उत्तरदार्यी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समत्त सूचनायें और दस्तावेज जो उनके कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक हो, प्रस्तुत करने के लिए आवद्ध होगा,
(6) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि परिनियमों या जध्यादेशों में विहित किया जाय या कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो।
(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जो राजएत्र में 15- वित्त अधिकारी प्रकाशित अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उसके पारिश्र्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
(2) वित्त अधिकारी विश्दविद्यालय के बजट (वार्षिक आंकलन) और विवरण कर्य परिषद के सम्मुख रखने, दिश्वविद्यालय की निधियों के सामान्य पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय की और से निधियों का आहरण एवं वितरण भी करेगा।
(3) वह सीधे कुलपति के नियंत्रणाथीन कार्य करेगा।
(4) उसे कार्य परिषद की कार्यवाहियें में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत डालने का हकदार नहीं होगा।
(5) उसका विश्वविद्यालय की निधियों के सामान्य पर्यवेक्षण एनं वित्तीय नीति के संबंय में परामर्श देना का कर्तव्य होगा,
(क) वह यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो न किया जाये,
(ख) ऐसे प्रस्तावित व्यय को अनुज्ञात नहीं करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों या किसी परिनियम या अध्यादेश की शर्तो के उ्ल्लंयन में हो;
(ग) यह सुनिशिचत करेगा कि कोई वित्तीय आनियमितता नहीं हुई है और सम्परीक्षा के दौरान पाई गयी अनियमितताओं को टीक करने के लिए कार्रवाई करेगा ;
(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की सम्पति तथा विनिधान संरक्षित और सुप्रवन्धित हो;
(ड.) लेखाओं की नियमित रूप से सम्परीक्षा करायेगा ;
(6) वित्त अधिकारी की अन्य शक्त्यियां और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जाय।

16-विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति,
सेवा के निर्वन्धन और शर्ते तथा शाक्तियों और कर्तव्य ऐसे होगें, जो विहित किऐ जायें।

## अध्याय- 4 <br> विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

17-दिश्वविद्यालय के
प्राधिकारी
विश्नवि्यियय के निम्नलिखित प्राधिकारी होगे ; अर्थात-
(क) सभा ;
(ख) कार्य परिषद ;
(ग) शैक्षिक परिषद ;
(ब) ऐसे अन्य प्राधिकारी,जो परिनियममों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सूप में घोषित किये जांय।
(1) सभा विश्वविद्यालय की एक परामश्शी निकाय होगी और उसे विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए व्यापक नीतियों और कार्यक्रनों का पुनर्विलोकन करने की, वार्षिक रिपोट्ट पर विचार करने और संकल्म पारित करने की तथा कुलपति या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उसे निर्देष्ट मामलों पर सलाह देने की शक्ति होगी।
(2) सभा निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी ; अर्थात

## पदेन सदस्य

(क) कुलाधिपति ;
(ख) कुलपति;
(ग) प्रतिकुलपति;
(व) कार्य परिष्ट् के ऐसे शेष सदस्य जो अन्यथा सभा के सदस्य नहीं言;
(ड.) संकायाध्यक्ष ;
(च) कुलसचिद ;
(छ) वित्त अंधिकारी ;
(ज) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष
(झ) समस्त संबद्ध महाविदालयों,यदि कोई है के सभी प्राचार्य ;
(ज) विश्वविद्यालय की संस्था /स्कूलों के प्रधान;
(ट) राज्य विधान सभा के दो प्रतिनिधि जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाना है;
(ट) लब्ध प्रतिष्ठत वृत्तियों, उद्योग, वाणिज्य और कृषि का प्रतििनिधित्व करने वाते व्यक्ति वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस से अनधिक व्यक्ति जिन्हें कुलाधिपाते द्वारा नागित किया जाना है परन्तु बह कि नामांकन करते समय विभिन्ग्र हितों, वृत्तियों और योग्यता को सम्यक प्रतिनिनिध्द दिय जायेगा।
(ड) शिक्षकों के प्रतिनिनि-
पांच शिक्षक जिनका विहित रूप से चयन किया जाना है ।
पर्नु यह है कि शिक्षकों के प्रथम प्रतिनिधि कुलाधियति द्वारा नामित किये जायेंगे।
(ढ) प्रबन्ध मंडल के प्रतिनिधि
सम्बद्ध महविद्यालयों के यदि कोई है, की प्रबन्ध समिति के दो प्रतिनिधि जो विहित रीति से नामित किये जायेंगे।
परन्तु यह है कि प्रबन्ध सामितियों में प्रथम प्रतिनिधि कुलाधिपति द्वारा नामित किये जायेंगे।
(ग) छात्रों के प्रतिनिधि-
प्रत्येक संकाय का एक प्रतिनिधि जो संकाय के पूर्ववर्ती उपाधि की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करें और विश्वविद्यालय में स्नात्तकोत्तर उपाधि के लिए अध्यवन के किरी पाट्यक्रम में, का हो,
(३) पदावधि और बैटकों की संचालन के लिए प्रक्रिया वह होरी जो विहित की जाय,

19- कार्य परिषद
(1) कार्य परिषद निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात -
(क) कुलपति - अध्यक्ष
(ब) प्रतिक्लुपति, यदि कोई हो,
(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्ष विभाग का प्रमुख संचिव/सचिव ;
(घ) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव;
(ड.) विहित रीति से चक्रानुक्रम में दो संकायाध्घक्ष;
(च) विश्ववटिद्यालय के संकायों का प्रतिनिधिन्द करने वाला एक आचार्य जो विहित रुप से चयनित किया जाय;
(छ) बिहित रीति से चयनित किये जाने वाले सम्बद्ध महाविद्यालयों के यदि कोई है, दो प्राचार्य ;
(ज) कुलगधिपति द्वारा नामित सभा के तीन सदस्य जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा ;
(झ) कुलाधिपति के तीन नामित व्यक्ति जो उद्योग, प्रबंधन, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रे के प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे ;
(2) कार्य परिषद विश्चविद्यालय की कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी ;अर्थात -
(क) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों को अधिकधित करना;
(ख़) विश्वविद्यालय की सम्पति और निधियों को धारित करना और उन पर नियंत्रण रखना;
(ग) विश्वविद्यालद के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना कि वे उपबन्धों के अनुरूप हैं या नहीं;
(घ) दिश्वविद्यालय के बजट और वर्षिक रिपोर्ट को अनुमेदित करना;
(ड.) संबद्धता प्रदान किया जाना वा ऐसी सम्बद्धता का प्रत्याहरण विश्ववविद्यालय के परिनियमों में विहित रीति से किया जाना;
(च) नरीन या आतिरिक्त परिनियनों,अध्यादेशों,विनियमों की संस्तुति करना या विश्वविद्यालय के पूर्व परिनियमों,अध्यदेशों,विनियमों या नियमों का संशोधन या निरसन करना ;
(छ) राज्य सरकार को भ्जेनेे के लिए प्रत्तावों को अनुमोदित करना ;-
(ज) ऐसे विनिश्चय करना और कदम उठाना जो विश्वविद्यातय के उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वान्छनीय पाये जाते है; और (झ) सम्बद्ध या संघटक महाविद्यालयों, यदि कोई हों, के निरीक्षण की और निर्देश देने की व्यवस्था करना;

परन्दु यह है कि कार्य परिषढ्ट् के प्रथम सदस्यों को कुलाधिपति द्वारा नामित किया जायेगा और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कोंगे
(3) कार्य परिषद की एक वर्ष में न्यूनतम तीन बैटकें ऐसे स्मय और स्थान पर होगी, जैसा कुलपति टीक समझें;

शैक्षिक परिष्् विश्वविद्यालय की प्रमुख शेक्षणिक निकरय होगी, जिसक्रा 20 -शैक्षिक परिषद् गठन, पदादधि तथा संगत उपबन्ध ऐसे होंगे जो परिनिद्दमों द्वारा विहित किये जाये ।

धारा 17 के नद (व) में निदिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी की संरचना, 21-अन्य पदाधिकारी कृत्य और कार्वदही ऐसी होगी, जो परिंनियनों द्वारा विहित की जाय।

## अध्याय- 5

परिनियम, अध्यदेशे और विनियम
इस अधिनियम के उउबन्धों के अध्यधीन, निम्नलिखित सभी या किसी 22 - परिनियम विषय के लिए परिनिवमों नें व्यवस्स्था की जा सकेगी; अर्थात(क) विश्यविव्याजय के प्रशिकारियों और अन्य निकायों की संरचना, शीक्तियां और कर्त्वय, ऐसे प्राधिक:रियों की सदस्यतः के लिए अह्हतांं और निरहुताएं, उनके सदस्यों की नियुक्ति और पद से हटंया जाना तथा उससे संबध्ध अन्य नामले;
(ख) दिश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य;
(ग) दिश्वविह्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा की निबन्धन और शते तथा उसकी शक्तियां और कर्ताल्य;
(व) विश्दविद्यालय का प्रशासन संघटक महाविद्यालयों की स्थापना और उनका उत्सादन, सम्बद/संषटक महाविदालयों यदि कोई हो,को संबद्धता प्रदान करना और उसका प्रत्याहरण, अध्येतावृत्तियों, पुरस्कारों, इत्यादि को संसथेत करना, उपाधियों और अन्य शेक्षणिक विशिष्टताये प्रदान करना तथा प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा प्रदान करना;
(ड.) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों के संचालन के लिए प्रक्रिया;
(च) कोई अन्य विष्य जो कि विश्वविद्यालय के समुचित और प्रभावी प्रबन्धन तथा कार्यो के संचालन के लिए आवश्यक हो और जिसके

लिए इस अधिनियम द्वरा या प़रेनियनों द्वारा उपबस किया जाना है या किया जा सकेगा।

23- परिनियम कैसे बनाये जाएंगे
(1) प्रथम पररियम राज्य सरकार द्वारा राज़पत्र में भधिसूपना द्वारा बनाए जयेंये।
(2) कार्य परिषद समय-सनय पर इस धारा में विहित रीति से नदे या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगोी या परिनियोों में हंश्रोपन या उनका निरतन कर सकेगी;

परन्तु यह कि कार्य परिषद्य विश्वविद्धालय के किती विद्यमान प्राधिक्रा की प्रास्थिति, शक्तियां या गठन पर प्रभाष डालने वाले कोई परिनिव्म तब तक नहीं बनायेगी या उसमें कार्य पलिल्य द्वारा उस पर कोई संश्रेपन नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राििकरी को उस प्रताव पर अपनी राय ब्यक्त करने का अवसर न दे हेया गया हो और इस एक्रकार अभिब्वक्त राप लिखित रूप में होगी भरर कार्य पपरिष्् द्वारा उस पर विचार किया जायेगा।

परन्दु दह और कि कार्व परिषद छारों के अनुशासन और अनुदेशश शिक्षा के मानको तथा परीक्षा पर प्रभाव डातने वाला कोई परिन्यिवन सौष्षिक प्रिषेद से पातमश्र करने के फ्रहात ही बनायेगी अन्यथा नहीं।
(3) प्रत्येक नये परिनियम या परिनियनों में परिवर्ष्ल या परिरिन्यम में किता संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपतित कर अनुमोदन अपेक्षेत होगा, जो उसमें अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या कार्य परिषद के विचारार्य उसे लौटा सकेग।
(4) किसी नये परिनियन या किसी विदमान परित्मिन का संशोधन या निरसन करने वाले परीनियम की तब तक कोई घ्याता नहीं होगी जब तक कि कुलाधिपिति उस पर अनुमति न दे दे।
(5) पूर्वगगमी उपथातों में किसी अन्य बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हित में या विश्वविहालय अन्नुदान आयोग की सलाह संस्तुतियों के आया पर कुलाधिपति के अनुनोदन से नये या आतीरिक्त परिनिदम बना सकेंगी या पहले से प्रवृत्त पफरोनियमों को संशोधित या निरसित कर सहेगे।
(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उउबन्ं के अघघधीन निम्न सभी या किसी मामले में उपबन्ध कर सकेंग; अर्षान्त-
(क) छत्रों के प्रवेश, अध्यन, पाट्यक्रम और उनके लिए फीस, उपाियों, डिद्नोमाओ, प्रमापपर्ं: तथा अन्य शैकिष विशिद्टियों से संबधित अहितावें, अध्येतावृत्तियां, पुरस्कार इ्यादि दिवे जाने के लिए शंत;
(ख) पररीक्षाओं का संचालन, परीक्षों की पदावाधि और नियुक्ति सहित, और छात्रों के निवास की शत्तें तथा उनका समान्य अनुशासन;
(ग) विश्वववियातय से संबब्द महादियातयों का प्रबन्धन, तथा
(ब) अन्य कोई मामले जो कि इस अधिनियम या परिनिवमों में उपबनित किये जाने है, या अध्यदोशो द्वारा उपबन्धित किये जा सकेंग
(2) प्रन अध्थादेश राज्य सरकार द्वारा बनावे जायेगे और इस प्रकार बनाये गये अध्दादेश कार्य परिषद द्वारा किसी समय परिनिव्नों में विहहत रीतिते से संश्रोधित, निरसित या परिव्धित किए जा सकेंग।

विश्वव्द्यांलय अपने और उसके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के 25- विनियम संचालन के लिए इस अधिनेयम, परिनियमों एवं अध्यदेशें से संगत अंशों जिनके लिए इस अधिनिवन, परिनिवमों या अध्यदेशों में जो उपबन्धित नहीं किया गया है परिनियमों में विहित रीतिते से लिनियम बना सफेग।

## अध्याय- 6 <br> प्रकीर्ण

(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोट्ट कर्ष परिष्द् के निर्देशन के 26 - वार्षिक रिपोर्ट अधीन तैयार की जावेगी और ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जो परीनियमों द्वारा विहित की जाय, सभा को प्रस्तुत की जायेगी और सभा द्वारा उसकी वार्षिक बैटक में उस पर विचार किया जायेग।
(2) सभा उस पर अपन्ती टीका टिपणी कार्य परिष् को संसूचित कर सकेगें जो उस पर अय्येत्तर कार्यवाही जो वह टीक समक़े कर सकेगी।
(1) विश्यविव्यातय के वार्षिक लेखे और तुलन-प्त्र कार्य परिषद 27 - लेखाओं की सम्परीक्षा के निरेदेश के अधीन तैबार किये जावेंे और निदेशक स्यानीय निधि लेखा, उत्तरांचल या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियो द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राथिकृत करे, प्रलेक वर्ष में कम से कम एक बार और प्रंह माह से अनधिक के अंतरालों पर उनकी सम्ररक्षा की जावेगी।
(2) वर्षिक लेखाओं, तुलन पत्र और सम्परीक्षा रिपोर्ट पर सभा द्वारा उसकी वार्षिक बैटक में विचार किया जाएगा और सभा के संकल्प द्वारा उसके प्रतिनिन्देश से संस्तुतियॉ की जा सकेगी और उन्हें कार्य परिष्ट् को संसूचित करेगी।
(3)वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति उस पर सम्परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद के संप्रेक्षणों, यदि कोई हों, के साथ प्रत्येक वर्ष ३० सितन्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।
(4)वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये कोई भी संप्रेक्षण कार्य परिषद के ध्यान में लाये जायेंगे। ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य परिषद के विचार, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।
(5) कुलपति या कार्य परिषद के लिए कोई व्यव उपगत करना विधिपूर्ण नहीं होगा जो या तो बजट में स्वीकृत न हो या विश्वविद्यालय को अनुदत्त निधियो के मामले में बजट की मंजूरी के पश्चात, राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या प्रतिष्ठान द्वारा ऐसी शर्तो पर स्वीकृत अनुदान पश्चातवर्ती स्वीक्त हो।

परन्तु यह कि फुलपति आग्नि, बाढ़, अत्पधिक वर्षा या अन्य अचानक या अदृश्य पररेस्थितियों के कारण उत्पन्न अनावर्ती व्यय जो कि दस हजार रुपए तक का हो, बजट में स्वीकृत न होने पर भी उपगत कर सकेगा।

28- रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय अधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

विश्वविद्यातय के किसी प्राधिकरती या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण आविधिमान्य न होगी कि:-
(क)उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, या
(ख) उसके सदस्प के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामाकंन, या
(ग) नियुक्ति में कोई त्रुटि थी, या
(व) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी आनेयमिततां थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

29- कठिनाइयों का निराकरण
(1) राज्य सरक्कर, किसी कटिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचित आदेश द्वारा यह निदेश़ दे सकेगी कि इस आधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि में, जो आदेश में बिनिदिषेष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए

चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्वन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक वा सर्मची़ीन समझे, प्रभार्वी होंगे।
परन्तु 31 देसम्बर, 2005 के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।
(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी -या उसंको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों कें दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्सता से ड़स आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिब्ध दोष हुआ है जो कार्यपरिषद की राय में नैतिक अधमता संबंधित अपराध हो या इस आधार पर कि इह कलंकात्मक आचरण का दोषी है या उसने इस प्रकार व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकेगी और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारः प्रदत्त या स्वीकृत कोईं उपाधि, डिलो़ोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकेगी।

यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत विनियम की विधिमान्यता से संबंधित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विष्य कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।
परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश:-
(क) उस दिनांक के जबकि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था. तीन मास से अधिक के पश्चात, या
(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या व्यशित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायेगा।
राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के तात्पर्यंत या आशायित किसी कार्य के लिए न कोई वाद या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी।

30-विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

31-कुलाधिपति को संदर्भ

33-विश्वविद्यालय के अभिलेखों को सिद्ध करने की रीति

34-अपील करने का अधिकार
(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के, किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेंदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिए्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो उसे ऐसी रसीद. आवेदन, सूचना. आदेश कार्यवाही. संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती. तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती।
(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती है, पेश करने की या साक्षी के रूप में उपरिथत होने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे।
इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी अथवा छात्र को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या ऐसे संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे. समय के अन्दर जो विहित किया जाय, कार्य समिति को अपील करने का अधिकार होगा तथा उस पर कार्य परिषद उस विनिश्चय की. जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्टि कर सकेगी. उसमें उपान्तरण कर सकती है अथवा उसको परिवर्तित कर सकती है।

आज्ञा से,
आई0 जे० मल्होत्रा. प्रमुख सचिव।

No. 489 Nidhayee and Sansadiya Karyal2005
Dated Dehradun. April 26, 2005
NOTIFICATION
Miscellaneous
in pursuance of the provisions of Clause (3) of Artıcle 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Doon University


As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 23-4-2005.

DOON UNIVERSITY ACT, 2005
[Act No. 18 Of 2005]
An
Act
to establish a University to be known as Doon University
Be it enacted in the Fifty-sixth year of the Republic of India by the Uttaranchal Legisiative Assembly as follows :--

## CHAPTER-I

Preliminary
(1) This Act may be called the Doon University Act, 2005.
(2) It shall come into force on such date, as the State Government may by Notification in the official Gazette appoint
(1) In this Act, unless the context otherwise requires:-
(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
(b) "Affiliated College" means a college affiliated to the University in accordance with the provisions of this Act and Statutes of the University.
(c) "Autonomous college" means the college declared autonomous by the University Grants Commission;
(d) "Chancellor" means the Chancellor of the University;
(e) "Constituent College" means a college or institute maintained by the University;
(f) "Court" means the Court of the University.
(g) " Dean" means a Dean appointed as per provisions of this Act.
(h) "Director" means Head of an Institute established by the University to organize and conduct teaching and research in any subject.
(i) "Employee" means employee appointed by the University and includes teachers and other staff of the University or a constituent college;
(j) "Executive Council" means the Executive Council of the University.
(k) "Faculty" means faculty of the University;
(I) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;

1. Short title and

Commencement
2. Definitions
(m) "Government" means the Government of Uttaranchal;
(n) "Institute" means an institute established by the University to organize and conduct teaching and research in any subject.
(0) "Management" in relation to an affiliated college means the Management Committee or other body charged with managing the affairs of that college or institution and recognized as such by the university.
(p) "Prescribed" means prescribed by the Statutes or Oroinances.
(q) "Principal" in relation to a constituent college, means the head of the constituent college, and includes, where there is no Principal, the Vice Principal or any other person for the time being appointed to act as Principal.
(r) "Registrar" means the Registrar of the University.
(s) "School " means school of the University.
(t) "State" means State of Uttaranchal.
(u) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University.
(v) "Teacher" means a Professor, A ssociate Professor, Reader, Assistant Professor, Lecturer or such other person as may be appointed for imparting instructions, teaching or conducting research in the University or in a Constituent College and includes the Principal of Constituent College;
(W) "University Grants Commission means University Grants Commission established under University Grants Commission Act, 1956;
(X)"University" means the Doon University established under this Act:
$(Y)$ "Vice Chancellor" means Vice Chancellor of the University.

## CHAPTER-II

## The University

(1) There shall be established a University to be known as 'Doon University'.
(2) The University shall be a body corporate by the name specified in sub-section (1) above and shall have a perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by its name.
(3) Headquarter of the University shall be located at Dehradun and it may establish its additional campus at such other places as considered necessary with the prior approval of the State Government.

Objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge and understanding by teaching, research, and extension.

The University shall have following powers and duties, namely-
(1) to provide for instruction in such branches of learning as the University may think fit with particuiar emphàsis on modern subjects aiming at becoming centres of excellence in each such area, and to make provision for research for the advancement and dissemination of knowledge;
(2) to admit any autonomous college or such other college as may be prescribed to the privileges of affiliation or withdraw such affiliation and to guide and control the work of affiliated colleges on the conditions prescribed by first statutes of the University;
(3) to institute degrees, diplomas and other academic distinctions;
(4) to establish faculties, schools and such other academic bodies as per provisions of the statutes.
(5) to hold examinations, and to grant and confer degrees, diplomas and other academic distinctions on persons who have successfully completed prescribed courses of study, examination and/or research in the University or in any affiliated College or in an Institute;
(6) to confer honorary degree or other academic distinction in the manner and under conditions laid down in the Statutes;
3. Establishment of the University
4. Objects of the University
5. Powers and duties of the University
(7) to co-operate or collaborate with other Universities, national laboratories and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine;
(8) to create teaching posts required by the University and to appoint persons to such posts;
(9) to lay down the conditions of affiliation of colleges and to satisfy itself by periodical inspection or otherwise that those conditions are satisfied;
(10) to regulate and enforce discipline among students, and employees of the University and its Institutes and affiliated Colleges by laying down a code of conduct and other measures necessary;
(11) to institute and award scholarships, fellowships (including travelling fellowship), studentships and prizes in accordance with the Statutes and the Ordinances;
(12) to institute and maintain hostels and to recognize places of residence for students of the University, the Institutes or the constituent or affiliated colleges;
(13) to demand and receive such fees and other charges as may be fixed by the Statutes;
(14) to supervise and control the residence and to regulate the discipline of students of the University, the Institute and the constituent or affiliated colleges and to make arrangements for promoting their health;
(15) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto;
(16) to earn resources by means of consultancy based on Research \& Development projects and provide for augmentation and productive utilisation of its assets and resources and
(17) to do all such acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be required in order to further the objects of the University.

## 6. Jurisdiction of (1) The jurisdiction of the Doon University shall extend to all the University its affiliated Colleges and institutions in the State.

(2) Notwithstanding the above, the University shall not grant affiliation to any College which has already been given affiliation by any other University in the State, without consent of the concerned University.

Provided that the colleges so affiliated will continue to enjoy all those rights and privileges which they were enjoying before such affiliation unless amended or modified by this University.
The University shall be open to all persons irrespective of class, caste, creed or gender, but nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances;

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission of students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes.
(1) The University shall conform to the norms/ regulation of University Grants Commission as amended from time to time.
(2) The University will seek accreditation from the concerned national bodylie's, as required.

## CHAPTER -III

## Officers of the University

The following shall be the officers of the University:-
(a) the Chancellor.
(b) the Vice -Chancellor;
(c) the Pro Vice-Chancellor;
(d) the Deans of Faculties;
(e) the Registrar;
(f) the Finance Officer; and
(g) Such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.
(I) The Governor of the State shall be the Chancellor of the University.
(2) The Chancellor shall, when present, preside at the convocation of the University for conferring degrees and diplomas
9. Officers of the University
10. The Chansellor
7. University open to all classes, castes, creed and gender
8. Norms and Accreditation.
(3) The Chancellor may call for such information relating to any affair of the University and issue such directions thereupon as the Chancellor may deem fit in the interest of the University and the authorities and the officers of the ! I niversity shall comply with such directions.
(4) Every proposal for the conferment of an honorary degree or distinction shall be subject to the approval of the Chancellor.
(5) The Chancellor may, from time to time, appoint one or more persons to review the work and progress of the University and to submit a report thereon; and upon receipt of that report, the Chancellor may after obtaining the views of the Executive Council thereon, take such action and issue such directions as he considers necessary in respect of any of the matters dealt with in the report and the University shall be bound to comply with such directions.
(6) The Chancellor shall also have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct of the University, its buildings, laboratories and equipments and of any institution maintained by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in respect of any matter connected with the University.
(7) The Chancellor shall in every case give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.
(8) The Chancelior may address the Vice Chancellor with reference to the result of such inspection and inquiry, and the Vice Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the Chancellor with such advice as the Chancellor may offer upon the action to be taken thereon.
(9) The Executive Council shall communicate through the Vice Chancellor to the Chancellor such action, if any, as it proposes to take or has been taken upon the result of such inspection or inquiry.
(10) Where the Executive Council does not within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council, issue such directions as he may think fit and the Executive Council shall be bound to comply with such directions.
(11) The Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding of the University, which is not in conformity with this Act, the Statutes, or the Ordinances.
(1) There shall be a Vice- Chancellor appointed on such
11. Vice-Chancellor terms and conditions as may be prescribed by the Statutes for a term of three years by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Committee constituted in accordance with the provisions of subsection (2).

Provided that the first Vice Chancellor of the University shall be appointed by the State Govt. and will hold office for a term of three years.
(2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following persons, namely:-
(a) One person nominated by the Chancellor.
(b) One person nominated by the University Grants Commission.
(c) The Principal Secretaryl Secretary to the State Government in the Higher Education Department; who shall be the Member Convener. .
(3) The committee shall, on the basis of merit, prepare a panel of names of three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor and forward the same to the Chancellor along with a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each person.
(4) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic Officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.
(5) Where any matter other than the appointment of a teacher is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the
authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice Chancellor may take such action as he may deem fit with the prior approval of the Chancellor.
(6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be laid down by the Statutes or the Ordinances.
(7) It shall be the duty of the Vice Chancellor to ensure faithful observation of the provisions of this Act, Statutes and Ordinances.
(8) The Chancellor is empowered to remove the Vice Chancellor or suspend the Vice-Chancellor during enquiry depending upon the seriousness of the charges, as he may deem fit.
12. The Pro-Vice-Chancellor-

13. Deans of Faculties-

A Pro Vice-Chancellor may be appointed by the Vice-chancellor for period specified with prior approval of the Chancelior in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.
Every faculty or a School shall be headed by a Dean. The Deans of faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by Statutes.
14. The Registrar- (1) The Registrar shall be appointed by the Executive Council in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.
(2) The Registrar shall be the chief administrative officer and shall work under the supervision, direction and control of the Vice Chancellor.
(3) All contracts shall be entered into and signed by the Registrar on behalf of the University.
(4) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed or may be required from time to time, by the Statutes or the Vice-Chancellor.
(5) The Regictror shall bc responsible for the due iusiouly of the records and the common seal of the University and shall be bound to place before the Chancellor, the ViceChancellor or any other authority, all such informations and documents as may be necessary for transaction of their business.
(6) He shall perform such other duties as may be prescribed in the Statutes or Ordinances or as may be required, from time to time, by the Executive Council or the Vice Chancellor.
(1) There shall be a Finance Officer for the University, who shall be appointed by the State Government by a 15. The Finance notification published in the Official Gazette, and his remuneration and allowances shall be paid by the University.
(2) The Finance'Officer shall be responsible for exercising general supervision over the funds of the University and for presenting the budget (annual estimates) and the statement of accounts to the Executive Council and also for drawing and disbursing funds on behaif of the University.
(3) He shall work directly under the control of the Vice Chancellor.
(4) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote.
(5) He shall have the duty to exercise general supervision over the funds of the University and advise on financial policy.
(a) to ensure that no expenditure, not authorized in the budget is incurred by the University (otherwise than by way of investment):
(b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the terms of any Statutes or Ordinances;
(c) to ensure that no financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit:
(d) to ensure that the properties and investments of the University are duly preserved and managed, and
(e) to have the accounts audited regularly.
(6) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such as may be prescribed.

The manner of appointment, terms and conditions of service and powers and duties of other officers of the University shall be such as may be prescribed.
16. Other Officers of the University.


#### Abstract

CHAPTER-IV AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY 17. Authorities of The following shall be the authorities of the University, namely:- the University. (a) The Court. (b) The Executive Council. (c) The Academic Council; (d) Such other authorities as may be declared by the

Statutes to be the authorities of the University 18. The Court. (1) The Court shall be an advisory body of the University and shall have the power to review the broad policies and programmes of the University, suggest measures for the improvement and development of the University, to consider and pass resolution on the annual report and to render advice on matters referred to it by the Vice Chancelior or any other authority of the University. (2) The Court shall consist of the following members, namely


Ex-officio members.
(i) The Chancellor,
(ii) The Vice Chancellor,
(iii) The Pro-Vice Chancellor,
(iv) The remaining members of the Executive Council who are not otherwise members of the Court,
(v) Deans,
(vi) The Registrar,
(vii) The Finance Officer,
(viii) The University Librarian,
(ix) All Principals of affiliated colleges, if any,
(x) Heads of schools / Institutes of the University.
(xi) Representatives of the State Legislature -

Two representatives of the State Assembly to be nominated by the Speaker,
(xii) Persons representing Learned Professions, Industry, Commerce and Asriculture - Not more than ten persons representing learned professions to be. nominated by the Chancellor provided that in making nominations due regard shall be given to the representation of different interests professions and learning
(xiii) Representatives of teachers- Five teachers to be selected in the manner prescribed.

Provided that the first representatives of ieachers snati be nomirated by the Chancelior.
(xiv) Representatives of management- Two representatives of the managements of affiliated colleges, if any; in the manner prescribed.

Provided that the first representatives of management shall be nominated by the Chancellor.
(xv) Representatives of students-One representative each of the Faculties who, having secured the highest marks in that Faculty at the preceding degree examination and is pursuing a course of study for a post graduate degree in the University.
(3) The term of office and procedure for the conduct of meetings shall be such as may be prescribed.
(1) The Executive Council shall consist of the following namely:
19. Executive Council-
(a) The Vice Chancellor - Chairman.
(b) The Pro Vice Chancellor, if any.
(c) Principal Secretary / Secretary to the State Government in the Higher Education Department.
(d) Principal Secretary / Secretary to the State Government in the Finance Department.
(e) Two Deans of Faculties by rotation in the manner prescribed.
(f) One professor representing one of the University faculties to be selected in the manner prescribed.
(g) Two Principals of affiliated colleges, if any, to be selected in the manner prescribed.
(h) Three members of the Court nominated by the Chancellor, none of whom shall be an employee of the University;
(i) Three nominees of the Chancellor who shall be persons of eminence in areas like Industry, Management, Higher Education, Science and Technology;
(2) The Executive Council shall be the e xecutive body of the University and subject to the provisions of this Act, shall have the following powers, namely:-
(a) to lay down policies to be pursued by the University,
(b) to hold and control the property and funds of the University
(c) to review decisions of the other authorities of the University, if they are not in conformity with the provisions of this Act, the Statutes or the Rules;
(d) to approve annual report and the budget every year of the University.
(e) to grant affiliation or withdraw such affiliation as prescribed in the Statutes of the University;
(f) to recommend new or additional Statutes. ordinances and regulations or amend or repeal the earlier Statutes, ordinances and regulations of the University;
(g) to approve proposals for submission to the State Government;
(h) to take such decisions and steps as are found desirable for effectively carrying out the objects of the University; and
(i) to arrange for and direct the inspection of affiliated colleges or constituent Colleges, if any;
Provided that the first members of the Executive Council shall be nominated by the Chancellor and shall hold office for a term of three year.
(3)The Executive Council shall, meet at least three times in a year at such time and place as the Vice Chancellor deems fit.

20-Academic
Council Council
21. Other Composition, functions and term of office of any other authority authorities-

The Academic Council shall be the academic body of the University and its constitution, term of office and related provisions shall be such as may be prescribed by the Statutes. referred to in item (d) of section 17 shall be such as may be prescribed in the Statutes.

## CHAPTER V

## STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS.

22. Statutes- Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely,
(a) the constitution, powers and duties of the authorities and other bodies of the University, the qualifications and disqualifications for membership of such authorities and other bodies, appointment and removal of members thereof and other matters connected therewith;
(b) the appointment, powers and duties of the officers of the University;
(c) the appointment, terms and conditions of service and the powers and duties of the employees of the University;
(d) the administration of the Uni versity, the establishment and abolition of constituent Colleges, the grant and withdrawal of affiliation of affiliated colleges/ constituent colleges if any the institution of Fellowships, Awards and the like, the conferment of degrees and other academic distinctions; and the grant of diplomas and certificates;
(e) Procedure for conducting meetings of Authorities of the University; and
(f) any other matter which is necessary for the proper and effective management and conduct of the affairs of the University and which by this Act is to be or may be provided by the Statutes;
(1) The first Statutes shall be made by State Government by notification in the official Gazette.
23. Statutes how made.
(2) The Executive Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes in the manner hereafter prescribed in this section.

Provided that the Executive Council shall not make any Statutes or any amendment of a Statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal, and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Executive Council.

Provided further that no Statute shall be made by the Executive Council affecting the discipline of students, and standards of instructions, education and examination except after consultation with the Academic Council.
(3) Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal of a Statute shall require the approval of the Chancellor who may assent thereto or withhold assent or remit to the Executive Council for consideration;
(4) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing statute shall have no validity unless it has been assented to by the Chancellor;
(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing subsections, the State Government may, in the interest of the State or National Education Policy or based on the advice/recommendation of UGC, with the assent of the Chancellor, make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes already in force;
24. Ordinances
(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:
(a) the admission of students, the courses of study and the fees there of, the qualifications pertaining to degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the conditions for the grant of Fellowships, Awards and the like;
(b) the conduct of examinations, including the terms of office and appointment of examiners and the conditions of residence of students and their general discipline;
(c) the management of Colleges affiliated to the University; anó
(d) any other matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided by the Ordinances;
(2) The first Ordinance shall be made by the State Government and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the Statutes;
25. Regulations-

The University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances for the conduct of their own business and that of the committees appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances in the manner prescribed by the Statutes;

## CHAPTER VI MISCELLANEOUS

26. Annual Report-
(1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court on or before such date as may be prescribed by the Statutes and shall be considered by the Court at its annual meeting.
(2) The Court may communicate its comments thereon to the Executive Council, which may take further action as it thinks fit.
(1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall, once at least every year, and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Director,

Local Fund Accounts, Uttaranchal or by such person or persons as the State Government may authorize in this behalf.
(2) The annual accounts, the balance-sheet and the audit report shall be considered by the Court at its annual meeting and the Court may, by resolution make recommendations with reference thereto and communicate the same to the Executive Council.
(3) A copy of the annual accounts and the balance sheet together with the audit report thereon shall be submitted to the State Government along with the observations, if any, of the Executive Council on the recommendations of the Court before the thirtieth of September, every year.
(4) Any observations made by the State Government of the annual accounts shall be brought to the notice of the Executive Council and the views of the Executive Council, if any, on such observations shall be submitted to the State government.
(5) It shall not be lawful for the Vice Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure not sanctioned in the budget, or in the case of funds granted to the University, subsequent to the sanction of the budget, by the State or the Government of India or the University Grants commission or any international organization or Foundation, save in accordance with the terms of such grant;

Provided that the Vice Chancellor may, in the case of fire, flood, excessive rainfal! or other sudden or, unforeseen circumstances, incur non-recurring expenditure upto rupees ten thousand not sanctioned in the budget.

No act or proceeding of any Authority or Body or Committee of the University shall be invalid merely by reason of:
(a) any vacancy or defect in the constitution thereof, or
(b) some person having taken part in the! proceedings who was not entitled to do so, or
28. Proceedings of the University authorities and bodies not invalidated by vacancies.
(c) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as member thereof, or
(d) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.
29. Removal of difficulties.
30. Removal from member ship of the University
(1) The state Government may, for the purpose of removing any difficulty by notified order direct that the provisions of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations whether by way of modification addition or omission as it may deem to be necessary or expedient.
Provided that no such order shall be made after Dec,2005.
(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before the State Legislative Assembly.
(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty, as is referred to in sub-section (1), existed or required to be removed.

The Executive Council may by a two-third majority of the members present and voting remove any person from membership of any Authority or other Body of the University on the ground that such person has been convicted of an offence which, in the opinion of the Executive Council, is an offence involving moral turpitude or upon the ground that hehas been guilty of scandalous conduct or had behaved in a manner unbecoming of a member of the University and may upon the same grounds withdraw from any person any degree, diploma or certificate conferred or granted by the University.

If any question arises whether any person has been duly elected or appointed or is entitled to be member of any Authority or other Body of the University or whether any
decision of any Authority or the officer of the University (including any question as to the validity of a Regulation) is in conformity with this Act or Regulations made thereunder, the matter shall be referred to the Chancellor and the decision of the Chancellor thereon shall be final.
Provided that no reference under this Section shall be made:
(a). more than three months after the date when the question could have been raised for the first time;
(b) by any person other than an Authority or officer of the University or a person aggrieved.
No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government or the University or any officer, Authority or Body thereof in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of the Act or Regulations made thereunder.
(1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceedings or a resolution of any Authority or Committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceedings, resolution or a document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions recorded therein where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.
(2)No officer or servant of the University shall in any proceeding to which the University is not a party, be required to produce any document, register or other record of the
32. Bar of Suit
33. Mode of Proof of University Records

University, the contents of which can be proved under sub section (1) by a certified copy or to appear as a witness to
prove the matters and transactions recorded therein unless by order oi the court made for special cause.
34. Right to Appeal Every employee or student of the University or of a constituent college or affiliated college, shall, notwithstanding anything contained in this Act, have a Right to Appeal within such time as may be prescribed, to the Executive Council against the decision of any Authority of the University or of the Principal of any such constituent college or an affiliated college, as the case may be, and thereupon the Executive Council may confirm, modify or change the decision appealed against.

## By Order,

I. J. MALHOTRA, Principal Secretary.

